बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग,
कार्यापालक पदाधिकारी का कार्यालय, नगर पंचायत, पावापुरी
निविदा आमंत्रण सूचना सं०– 01/2026–27
(ई–टेंडरिंग द्वारा www.eproc2.bihar.gov.in)

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग पटना का ज्ञापांक–5564, न०वि० एवं आ०वि० दिनांक–19.05.2026 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए नगर पंचायत, पावापुरी के क्षेत्राधीन आकस्मिक /अत्यावश्यक कार्य हेतु राज्य सरकार के वर्तमान अनुसूचित दर (संवेदक लाभ एवं ओवरहेड रहित) पर निर्माण सामाग्रियों/श्रमिकों/मशीनरी इत्यादि के आपूर्ति / सेवा हेतु संवेदकों / आपूर्तिकर्ता/ सेवा प्रदाताओं से निम्नांकित शर्तों पर अभिरूचि की अभिव्यक्ति (expression of interest) आमंत्रण किया जाता है।

1. विज्ञापन दाता का नाम एवं पता : नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, पावापुरी।
2. निविदा आमंत्रण सूचना निर्गत की तिथि : दिनांक–22.06.2026
3. प्री बीड मीटिंग का समय स्थान/तिथि : दिनांक–03.07.2026 के 11:00 बजे से
   स्थान – कार्यालय, नगर पंचायत पावापुरी।
4. निविदा अपलोड प्रारंभ करने की तिथि एवं समय : दिनांक–03.07.2026 से दिनांक–11.07.2026 समय 15:00 बजे,
   (on website https://eproc2.bihar.gov.in)
5. संवेदक द्वारा निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि : दिनांक– 11.07.2026 के 15:00 बजे तक
   (on website https://eproc2.bihar.gov.in)
6. बीड खोलने की तिथि : दिनांक–11.07.2026 के 15:30 बजे के बाद
   (on website https://eproc2.bihar.gov.in)
7. **कार्य का विवरण :–**

क्र0 सं0	कार्य का नाम	अग्रधन की राशि (रू0 में)	Tender Fee (Through Online Payment) (रू0 में)	Bid Processing Fee (Throughonline payment) (अप्रत्यर्पणीय) (रू0 में)	Empanelment की अवधी
01	नगर पंचायत, पावापुरी में नागरिक सुरक्षा तथा अनिवार्य सुविधा एवं सेवा से संबंधित पुर्नस्थापन (Restoration) तथा मरम्मत के उद्देश्य से विभागीय पत्रांक 5564, दिनांक 19.05.2026 के आलोक में संवेदकों का पैनल तैयार करने हेतु अभिरूचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest) का आमंत्रण।	2000.00	1000.00	As per Eproc2	01 वर्ष

नोटः– 1. Bidders Should submit bid processing fee through online Payment as per amount generated on website https://eproc2.bihar.gov.in

8. निविदा की वैधता अवधि : 120 दिन (निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि से)
9. विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना विभागीय वेबसाईट https://eproc2.bihar.gov.in अथवा www.prdbihar.gov.in में देखा जा सकता हैं।

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, पावापुरी।

EOI की शर्तें :–

10. संवेदकों /आपूर्तिकर्ताओं/सेवा प्रदाताओं का बिहार सरकार के संबंधित विभाग में स्थानीय अभिकर्ता श्रेणी–4 (जिला–नालन्दा) में निबंधन अनिवार्य होगा।
11. निर्माण सामाग्रियों/श्रमिकों/मषीनरी के आपूर्ति से संबंधित राज्य सरकार/विभागीय नियम/दिशा–निर्देश लागू होंगे।
12. सभी प्रकार के टैक्स/रॉयल्टी/मालीकाना फीस/जी0एस0टी0 इनकम टैक्स/लेवर शेष इत्यादि की कटौती नियमानुकूल की जाएगी।
13. अभिरूचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest) के साथ निम्न दस्तावेजों की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना होगा।

(i) वैध निबंधन प्रमाण– पत्र की प्रति।
(ii) पैन कार्ड की प्रति।
(iii) जी०एस०टी० निबंधन प्रमाण–पत्र की प्रति
(iv) आधार कार्ड की छायाप्रति
(v) चरित्र प्रमाण पत्र
(vi) GST return 3B latest 3 Month
(vii) Whatsapp मोबाइल नं०
(viii) ई–मेल आई०डी०
(ix) पूर्ण स्थायी एवं अस्थायी पता
(x) संवेदक के अधीन लंबित (सभी विभागों के अधीन EOI की तिथि को Existing commitment (On Going) कार्यों की राषि सहित सूची अपलोड करना है।

14. घोषणा प्रमाण–पत्र (मूल में)/ (शपथ–पत्र मूल में) (निविदा अभिलेख के साथ अपलोड करना एवं एकरारनामा के समय मूल में समर्पित करना)

"मैं अधोहस्ताक्षरी (साफ–साफ बड़े अक्षरों में नाम) ....
सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी श्री .... शपथ पूर्वक धोषणा करता/करती हूँ कि –

(क) मेरे / हमारे विरूद्ध किसी प्रकार का अपराधिक मामला किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।
(ख) मुझे /हमें किसी सरकारी/अर्द्ध सरकारी प्रतिष्ठान द्वारा Debar, BlackListed एवं विगत एक वित्तीय वर्ष के अन्दर विखंडित (Rescind) नहीं किया गया है।
(ग) मेरे /हमारा कोई निकटतम संबंधी (अभिप्राय है पति/पत्नी, माता/पिता, भाई/बहन तथा इस तरह के ससुराल पक्ष के संबंधी) संबंधित कार्य प्रमंडल में कनीय अभियंता/सहायक अभियंता/कार्यपालक अभियंता/ प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारी/ लेखापाल/कर्मी के रूप में कार्यरत नहीं है।
(घ) निविदा मे संलग्न सभी प्रमाण पत्र, कागजात विवरणी जाली एवं गलत नहीं है।
(ड़) I, the undersigned do hereby certify that all the statements made in the required attachment are true and correct and if found fake/ forget, the undersigned will be liable for infliction upon the F.I.R and lawful punishment as well as blacklisting"
(च) कार्य मिलने पर मैं गुणवत्ता एवं विशिष्टि के साथ कार्य सम्पादित करने को तैयार हूँ। गुणवत्ता एवं विशिष्ट के अनुरूप कार्य नहीं पाए जाने पर विभाग कार्रवाई हेतु स्वतंत्र होगा।
(छ) मजदूर सप्लाई कार्य मिलने पर मैं मजदूरों को न्यूनतम मजदरी अधिनियम 1948 (1948 का 11) की धारा–5 के अनुरूप श्रम विभाग द्वारा निर्धारित अनुसूचित दर पर भुगतान करूँगा।
(ज) वर्षा अवधि के समय आकस्मिक कार्य की प्रकृति को देखते हुए 24 घंटे मजदूरों एवं आवश्यक सामाग्रियों के साथ कार्य स्थल पर उपलब्ध रहूँगा। अनुपस्थित रहने पर तत्क्षण मेरे उपर नगर पंचायत, पावापुरी नियमानुकूल कार्रवाई करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।
(झ) यह स्पष्ट है कि निविदा के सभी कागजात Website (www.eproc2. bihar.gov.in) पर अपलोड करना होगा, जो स्वहस्ताक्षरित होना चाहिए। संवेदक Scan कर कागजातों को अपलोड करने के पूर्व सूचीबद्ध करते हुए क्रमांक अंकित करेंगे ताकि किसी खास कागजात को क्रमांक संख्या/पृष्ठ के आधार पर शीघ्र खोजा जा सकें।

15. क्रम सं0– 13 एवं 14 के अनुसार तकनीकी रूप से योग्य पाये जाने वाले इच्छुक संवेदकों को सूचीबद्ध (Empanelled) किया जाएगा, जिनसे आवश्यकतानुसार आपूर्ति/सेवा लिया जाएगा।
16. श्रमिकों की आपूर्ति के संबंध में श्रम संसाधन विभाग के अद्यतन दिषा/निर्देश/अधिसूचना का अक्षरषः अनुपालन किया जायेगा। श्रमिकों का भुगतान श्रम संसाधन विभाग के अद्यतन दर के आधार पर किया जायेगा।
17. मात्र सूचीबद्ध हो जाने से भविष्य में कार्य का दावा मान्य नहीं होगा। सूचीबद्ध का क्रमांक किसी प्रकार के वरीयता एवं प्राथमिकता पाने का द्योतक नहीं होगा।
18. सक्षम प्राधिकार के द्वारा दिये गये लिखित आदेश अथवा आकस्मिकता अथवा समयाभाव की स्थिति में कार्य विषेष के लिए नगर पंचायत, पावापुरी द्वारा दूरभाष के माध्यम से भी सूचित कर उपलब्ध Empanelled संवेदकों/आपूर्तिकर्ता से आपूर्ति/सेवा ली जा सकती है।
19. कराये जाने वाले कार्य का भुगतान आवंटन उपलब्ध हाने के उपरांत नगर पंचायत, पावापुरी द्वारा नियमानुसार की जाएगी।

नगर कार्यपालक पदाधिकारी, पंचायत,पावापुरी को किसी भी समय इस निर्गत आमंत्रण सूचना को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

21. E-Tendering में कार्यालय द्वारा Download करने में संलग्न अभिलेख यदि अपठनीय पाया जायेगा तो निविदा अमान्य किया जा सकता है।
22. Corrigendum/ Addendum, if any, will be published on the eproc2.0 only. NewsPaper Publication is not mandatory.
23. Bid evaluation will be done on the basis of uploaded document on e-proc 2.0 only.

19/6/26

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, पावापुरी।

ज्ञापांक–412, दिनांक–09/06/2026

प्रतिलिपिः– निदेशक, सूचना एवं जन–संपर्क विभाग, पटना को निविदा आमंत्रण सूचना की Soft Copy एवं 05 प्रति राजकीय/राष्ट्रीय स्तर के सामाचार पत्रों में प्रकाशित करने हेतु समर्पित। अनुरोध है कि निविदा आमंत्रण सूचना का प्रकाशन निविदा डाउनलोड करने की तिथि से 7 दिन पूर्व कराने की कृपा की जाय। विशेष जानकारी के लिये www.eproc2.bihar.gov.in पर देखा जा सकता है।

अनु0– 1. निविदा आमंत्रण सूचना 5 प्रतियों में।
2. Soft Copy एक प्रति में।

19/6/26

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, पावापुरी।